



# कार्यालय - वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला - चतरा, झारखण्ड - 825401

Phone No. - 06541-253690, Email - cf-chatra@gov.in

सेवा में,

पत्रांक - 301

दिनांक - 9/5/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

hick  
09.05.2025

Q  
chatras

विषय -

चतरा जिला अन्तर्गत हरहद से बग्ने अरिहन्त पेट्रोल पंप तक सिटी गैस पाईप लाईन निर्माण हेतु कुल 0.3889 हे0 (चतरा उत्तरी- 0.1082 हे0 एवं चतरा दक्षिणी- 0.2807 हे0) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।


प्रसंग -

आपका पत्रांक 947 दिनांक 26.04.2025

महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, वंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 185 दिनांक 22.02.2224 द्वारा पृच्छित 10 विन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। समर्पित निराकरण प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त कतिपय त्रुटियाँ एवं आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न नहीं है जो निम्नवत् है :-

1. प्रस्ताव में संलग्न 1:50000 स्केल के टोपोग्राम मैप में टोपोग्राम मैप सं0 अंकित नहीं है। टोपोग्राम मैप की हस्ताक्षरित मूल प्रति संलग्न किया जाय।
2. प्रस्ताव के साथ संशोधित मैनुअल फार्म A Part I की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में जंगल झाड़ी का रकवा 0.0833 हे0 तथा वनभूमि का रकवा 0.20102 हे0 है, किस आधार पर Part I & II में जंगल झाड़ी का रकवा 0.07802 हे0 तथा वनभूमि का रकवा 0.20268 हे0 किस आधार पर अंकित किया गया है, स्पष्ट करें।
4. प्रस्ताव के साथ हस्ताक्षरित ऑनलाईन Part II संलग्न नहीं है।
5. प्रस्ताव में संलग्न Part II के कंडिका 12 (iii) में Total Forest Area diversion since 1980 with number of cases में 24 एवं रकवा 1575.2 हे0 अंकित है जो पूर्व से ही चला आ रहा है। अतः इसमें प्रमंडलीय स्तर पर जाँच कर number of cases एवं रकवा में संशोधन की आवश्यकता है।
6. प्रस्ताव में संलग्न Part II के कंडिका 12 (iv) में Total compensatory afforestation stipulated in the division since 1980 on forest land include penal compensatory afforestation 1930.90 हे0 रकवा अंकित है जो पूर्व से ही चला आ रहा है। अतः इसमें प्रमंडलीय स्तर पर जाँच कर रकवा में संशोधन की आवश्यकता है। साथ ही Progress of compensatory afforestation as on forest land 1761.65 हे0 है, शेष 169.25 हे0 वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण का कार्य किस कारण से अवतक नहीं कराया गया है। विस्तृत विवरणी के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें।



GAI (Forwarding)



Scanned with OKEN Scanner

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा समर्पित निराकरण प्रतिवेदन की सभी मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि उल्लेखित त्रुटियों/कमियों का निराकरण करते हुए संशोधित प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जा सके।

अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

*[Signature]*  
16/05/2025

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

*[Signature]*

प्रतिवेदन :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।  
दिनांक 16/05/2025

प्रतिवेदन :- श्री जे.एन. कुमर-सिन्हा, क्षेत्रीय प्रबंधक (नरस), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को. प्रशासन एवं सार्वजनिक कार्य, 16/05/2025।  
उपरोक्त व/कि उपरोक्त प्रकरणों का निराकरण के निराकरण प्रतिवेदन न्यायाधीश द्वारा प्रमाणित न होने पर निम्न व/कि निम्न प्रमाणों को प्रतिवेदन किया जा रहा है।

*[Signature]*  
वन प्रमंडल पदाधिकारी  
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल  
16/05/2025  
MLV  
16-05-2025